

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-2/नियुक्ति- 07/2025- 1764(2)/स्वा०, पटना, दिनांक-03/10/2025

विज्ञापन संख्या-18/2025 के विरुद्ध बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों (विशेषज्ञ चिकित्सकों) को बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (रेडियोलॉजिस्ट) मूल कोटि के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान के 11वें स्तर के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की से परीक्षा पर पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित स्थल/संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

S.n	Application No	Candidate Name	Father's Name	Date of Birth	Selection Category	Home District	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RA0003529	SAURYA SAURYA	PAYOD KUMAR	21-Dec-92	UR	PATNA	SH, BHOJPUR
2	RA0002814	ANKITA KUMARI	BIRENDRA KUMAR SHARMA	19-Jun-96	UR	PURNIA	SDH, MASAUHRI, PATNA
3	RA0001186	KUMAR SIDDHANT	BLARAM PRASAD SAHA	12-Feb-95	UR	PURNIA	SH, KATIHAR
4	RA0000392	SHASHANK SHEKHAR	KAILASH PRASAD SINHA	6-May-90	UR	NALANDA	SDH, BARH, PATNA
5	RA0002495	MEENAKSHI RANJAN	AJAY KUMAR	16-Dec-90	UR	PATNA	SH, MUZAFFARPUR
6	RA0001464	ANUPRIYA MISHRA	RAM DAYAL MISHRA	19-Aug-92	UR	BUXAR	SH, KAIMUR
7	RA0002766	SHAIKH SADIYA MD RIZWAN	MD RIZWAN	24-Apr-95	UR	NALANDA	SDH, MAHUA, VAISHALI
8	RA0001817	SAMMAN KISHAN	SANJAY KUMAR	13-Nov-94	UR	MADHUBANI	SDH, BIRAU, DARBHANGA
9	RA0001089	PRATIK KUMAR	PAWAN KUMAR GUPTA	25-May-96	UR	BHAGALPUR	SH, MUNGER
10	RA0000996	SHREYA SHASHI	SHAMBHU DAS AGRAWAL	20-Jun-96	UR	PATNA	SH, HAJIPUR, VAISHALI
11	RA0001653	MONICA SHARMA	ASHOK KUMAR	16-Feb-95	UR	PATNA	IGIC, PATNA
12	RA0003379	SAROJ KUMAR	RAM CHANDRA MANDAL	6-Dec-92	UR	SAMASTIPUR	SDH, BENIPUR, DARBHANGA

13	RA0002767	SHIVANGI MISHRA	MRITYUNJAY KUMAR MISHRA	30-Dec-93	UR	PATNA	SH, CHHAPRA, SARAN
14	RA0002932	UDAY KUMAR	UMESH PRASAD	4-Mar-91	UR	NALANDA	SH, CHHAPRA, SARAN
15	RA0002667	TANVI SINGH	AJAY KUMAR SINGH	28-Feb-95	UR	VAISHALI	SH, GAYA (JAI PRAKASH NARAYAN HOSP.)
16	RA0001997	VIJAY KUMAR	DEVENDRA PRASAD SINGH	2-Feb-89	UR	PATNA	SDH, RAJGIR, NALANDA
17	RA0003350	TUSHAR ANAND	ARUN KUMAR	21-Dec-95	UR	MUZAFFARPUR	SH, EAST CHAMPARAN
18	RA0002606	PIYUSH KUMAR	HARI SHANKAR SINGH	14-Feb-89	UR	ROHTAS	SDH, BARH, PATNA
19	RA0000279	KESHAW KUMAR	RAMPRAVESH KUSHAWAHA	2-Oct-88	UR	VAISHALI	SH, GOPALGANJ
20	RA0000878	SUMITY SINGH	GYAN SHANKAR SINGH	15-Dec-86	UR	SARAN	SH, SIWAN
21	RA0002534	ABHAY SHANKAR	SRAVAN KUMAR	2-Mar-87	UR	LAKHISARAI	SH, BEGUSARAI
22	RA0002756	MURARY BATSA	RAM PADARATH SINGH	21-Jan-89	UR	PATNA	SH, KISHANGANJ
23	RA0002429	ARBIND KUMAR SINGH	JAGAT NARAYAN SINGH	11-May-89	UR	SIWAN	SH, LAKHISARAI
24	RA0001290	SANDEEP KUMAR	BALRAM PRASAD SAH	25-Nov-82	UR	BHAGALPUR	IGIC, PATNA
25	RA0003401	PUJA	GANESH PRASAD YADAV	17-Jul-93	UR	SAHARSA	SH, HAJIPUR, VAISHALI
26	RA0003542	FIRDAUSE RAB	ABDUR RAB	9-Mar-92	UR	SAMASTIPUR	SDH, BENIPUR, DARBHANGA
27	RA0000556	APARNA S	SURESH KUMAR M	8-Sep-92	UR	AURANGABAD	IGIC, PATNA
28	RA0003101	RISHAV PRASAD	RABINDRA PRASAD	17-May-93	UR	PATNA	SDH, JAGDISHPUR, BHOJPUR
29	RA0003457	PRITY RANJAN	NATHUN SINGH	24-Jan-90	UR	PATNA	SDH, HILSA, NALANDA
30	RA0002119	ANKITA ANAND	ANAND MOHAN MISHRA	5-Mar-93	UR	VAISHALI	SDH, NARKATIAGANJ, WEST CHAMPARAN
31	RA0002553	RAVI RANJAN KUMAR	RAMCHANDRA PRASAD	11-Jan-85	UR	NAWADA	SDH, HAVELI KHARAGPUR, MUNGER
32	RA0001229	MD SHAHAB UDDIN	MD NEZAM UDDIN	24-Feb-81	UR	BHAGALPUR	SDH, DHAMDAHA, PURNEA
33	RA0003608	RAKESH KUMAR	PAWAN KUMAR SAH	15-Feb-91	UR	MADHUBANI	SH, SUPAUL, SUPAUL
34	RA0002022	PUJA KUMARI	BINOD PRASAD	23-Jun-92	UR	SITAMARHI	SH, MADHUBANI

1764(2)
03/10/25

35	RA0002713	RAJ KISHORE SAHA	SAMPAT LAL SAHA	8-Nov-93	UR	PATNA	SH, SAMASTIPUR
36	RA0000162	MOZAFFAR DANISH	ZAFAR ALAM	16-Dec-87	UR	PATNA	SH, ARWAL
37	RA0003699	NISHANT SHARMA	AWADH KISHOR SHARMA	2-Oct-91	UR	PATNA	SH, BHAGALPUR
38	RA0002533	KIRAN KUMARI	BHUNESHWAR SINGH	13-Sep-90	UR	PATNA	SH, BUXAR
39	RA0001480	RAVINDRA KUMAR YADAV	ASHOK SINGHWAIT	10-Feb-82	UR	MADHUBANI	SH, SAHARSA
40	RA0003791	RUPALI KAUSHAL	RATNESH CHANDRA BARNWAL	20-Aug-89	UR	KODERMA	SH, AURANGABAD
41	RA0002997	PRIYANKA KUMARI	INDU BHUSHAN PRASAD	31-Oct-90	UR	SHEOHAR	SH, SITAMARHI
42	RA0000220	SURABHI	SANJAY SHARMA	15-Jun-84	UR	PATNA	SH, KHAGARIA
43	RA0001404	SHASHANK SAURAV	OM PRAKASH GUPTA	20-Jan-93	UR	PATNA	SDH, PIRO, BHOJPUR
44	RA0002589	ARSHI	ZAHD HUSSAIN	1-Jun-93	UR (F)	GAYA	SDH, RAJAULI, NAWADA
45	RA0001772	DEEPAK KUMAR	SHANKRA CHARYA	3-Mar-85	EWS-UR	SHEIKHPURA	SH, NAWADA
46	RA0000391	MANISH KUMAR	KAPILDEO SINGH	14-Nov-91	EWS-UR	JEHANABAD	SH, ROHTAS
47	RA0003641	SONU KUMAR	JAI PRAKASH GUPTA	2-Aug-90	EWS-UR	VAISHALI	SDH, SONEPUR, SARAN

2. यह नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के सम्बन्ध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में संबंधित नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4. योगदान के समय नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

1764(2)
03/10/25

5. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-3454, दिनांक-28.02.2024 के आलोक में नियमानुसार नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी। परीक्षा अवधि में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक-03.07.2007 के अनुसार उक्त नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-7832(2) दिनांक-22.11.1995 के अनुसार नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षों की सेवा पूरी होने तक अथवा पैंतालीस वर्षों की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षों के लिए (प्रशिक्षण अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. उक्त नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित पदस्थापन स्थल/संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष अधिसूचना निर्गत की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर योगदान समर्पित किया जाना अनिवार्य है।

9. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण-पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्र) के आधार पर यदि न्युक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. उक्त सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन किया जायेगा एवं आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लिया जायेगा।

11. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे।

12. जिन नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित Counselling के समय यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आवासीय/जाति प्रमाण-पत्र अथवा कोई अन्य वांछित प्रमाण-पत्र/कागजात समर्पित नहीं किया गया हो, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर वांछित प्रमाण-पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित कर देंगे।

13. सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित स्थल/संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदस्थापन के पूर्व वे नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के सभी प्रमाण-पत्रों की गहराई से

1764(2)
03/10/25

जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।

14. उक्त नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी में से यदि कोई पूर्व से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं तो वे नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण करेंगे तथा प्रभार त्याग कर उसी दिन उच्चतर अध्ययन पूर्ण करने हेतु विरमित हो जायेंगे। उच्चतर अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त अविलंब अपना योगदान स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगे।

15. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई पूर्व से बिहार राज्य के किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के टेन्योर पदों पर पदस्थापित/कार्यरत हैं तो वे भी नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण करेंगे तथा प्रभार त्याग कर बचे हुए टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु उसी दिन विरमित भी हो जाएंगे। बचे हुए टेन्योर अवधि में वे बिहार स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी माने जाएंगे तथा उक्त अवधि में उन्हें पूर्व से प्राप्त हो रहे मानदेय/वेतन के स्थान पर विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के लिए निर्धारित वेतनमान (11वाँ स्तर) प्राप्त होगा। उक्त हेतु संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को आवेदन दिया जाएगा। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे विधिवत विरमित होकर प्रभार त्याग करते हुए अविलंब अपना योगदान स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगे।

16. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई टेन्योर अवधि पूर्ण किये बिना ही नियमित सेवा में आना चाहते हैं, तो वे टेन्योर पद पर पदस्थापित संस्थान से विधिवत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में अपना योगदान समर्पित करेंगे।

17. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई विभागीय संकल्प संख्या-450(1) दिनांक-15.04.2017 के प्रावधानानुसार बंध-पत्र के अधीन तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा दिए जाने हेतु राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत हैं तो वे भी अपने पूर्व आवंटित संस्थान से विधिवत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान दे सकते हैं परन्तु बंधपत्र की अवधि में त्याग पत्र नहीं दे सकते हैं।

18. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई पूर्व से बिहार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नियमित सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत/पदस्थापित है तो वे पूर्व पदस्थापित स्थान से विधिवत विरमित होकर प्रभार त्याग करते हुए नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान देंगे।

1764(2)
03/10/25

19. उक्त सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा, संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित करेंगे।

20. उक्त पदस्थापन के क्रम में अक्रियाशील संस्थान में अथवा अतिरेक पदस्थापन होने — स्थिति में संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को विभाग में योगदान करने हेतु विरमित किया जाएगा।

21. इस अधिसूचना में किसी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि आदि में टंकण त्रुटि की स्थिति में अपेक्षित संशोधन हेतु विभागाध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना प्राधिकृत हैं।

22. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(यशपाल मीणा)

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक— 03/10/2025

ज्ञापांक-2/नियुक्ति- 07/2025-1764(2) /स्वा०,

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट—health.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

प्रतिलिपि : श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1764(2)
03/10/25

सरकार के अपर सचिव।
63/10/25